संख्याः 334319 /IV(2)-श0वि0–2025–01(AIIB)19 (77136)

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक–30 सितम्बर, 2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 में नवीन ऋण मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज–2) ULIP (Loan No-4510 IND) में पूंजीगत मदों में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तरखण्ड के पत्रांक–3128/श0वि0नि0/UUSDA (लेखा), दिनांक 23.09.2025 तथा कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सैक्टर डेवलपमेन्ट ऐजेन्सी, देहरादून के पत्रांक–यू.यू.एस.डी.आई.ए./ULIP/F&A-03/1490, दिनांक 12.09.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू0यू0एस0डी0ए0 के अन्तर्गत प्रचलित ऋण सं0**–4510-IND** (मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज–2) ULIP) के अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के सिविल कार्यों हेतु **कुल रू0 50.00 करोड़ (रूपये पचास करोड़ मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि **कुल रू0 50.00 करोड़ (रूपये पचास करोड़ मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून को इलैक्ट्रोनिक माध्यम से/ यथा व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों/कार्यों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा जो ऋण अनुबन्ध/परियोजना अनुबन्ध के क्रम में विषयान्तर्गत वर्णित कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत है तथा जिनके सम्बन्ध में नियमानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन एवं अधिप्राप्ति की कार्यवाही की गयी है।

(3) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश, अन्य तद्विषयक नियमों एवं समय–समय पर निर्गत तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

(4) उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।

(5) अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(6) उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–86/XXVII(7)36/2010–11/2019, दिनांक 08.03.2019 के प्राविधानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

(8) धनराशि व्यय करते समय वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च, 2025 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31–03–2026 तक उपयोग सुनिश्चित करते हुए तद्नुसार मदवार व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि की ए0डी0बी0 से यथाशीघ्र प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–97–वाह्य सहायतित परियोजनाएं–9702–मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज–2)–53–वृहद् निर्माण के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– एलॉटमेन्ट आई0डी0 S.25090130028,

भवदीय,

Digitally signed by
Santosh Badoni
Date: 29-09-2025
13:27:02

(संतोष बडोनी)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– अपर सचिव, वित्त विभाग/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– जिलाधिकारी, देहरादून/पौड़ी/ऊधमसिंह नगर/नैनीताल/चम्पावत।
5– कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून।
6– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 29-09-2025
16:56:19

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

Secretary-Secretary, Urban Development(S054)

HOD-Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -013

आवंटन आई डी-S25090130028
आवंटन पत्र दिनांक-29-SEP-2025

लेखा शीर्षक 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

051-निर्माण

02-मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (फेज-2) (ए0डी0बी0)

03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

97-बाह्य सहायतित योजना

Voted

4	2	1	7	0	3	0	5	1	9	7	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	450000000	500000000	0	950000000
योग	450000000	500000000	0	950000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.50,00,00,000 (Rupees Fifty Crores Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Scanned with OKEN Scanner